



POST OF BIHAR
National Election Commission Dept.
Stamp (Date: 20/08/2019) (Reserve)
"प्ररूप 26"
(निर्माण 4क देखिए)
THORIZATION NO: 1441



भारत
STAMP DUTY
00000
Rs. 0000100
375347
INDIA

बिहार
JUDICIAL



623365

34
क.प.प

14-दरभंगा सामान्य

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

लोक सभा 14-दरभंगा सामान्य

(सदन का नाम) के लिए निर्वाचन

के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग -क

मैं कृष्ण कुमार पासवान **पुत्र/पुत्री/पत्नी शमश्रीधर पासवान
आयु 29 वर्ष, जो उद्गम - पर्यी, डाकघर - लक्ष्मी सागर, थाना - सदर,
पंचायत - भाश मज्जद अंचल - दरभंगा अनुमण्डल - दरभंगा सदर
जिला - दरभंगा पिन - 846009

(डाक का पूरा पता लिखें) का/की

निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

(1) मैं कृष्ण कुमार पासवान (**राजनैतिक दल का नाम)
द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी / **एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।
(जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम 14 दरभंगा सामान्य बिहार (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं० 54 के क्रम सं. 595 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. 9430010603 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) Krichna10au584@gmail.com है।



(1)

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्राप्ति :

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपए में)
1	स्वयं	APUPP4462J	ज्ञात नहीं	शून्य
2	पति या पत्नी	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
3	आश्रित-1	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
4	आश्रित-2	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
5	आश्रित-3	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी जैसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी।

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	लागू नहीं होता
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	लागू नहीं होता

Krishna Kumar Prasad

(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं होता
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	लागू नहीं होता
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	लागू नहीं होता
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	लागू नहीं होता

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है {पूर्वोक्त मद्द (i) में वर्णित मामलों से भिन्न}:-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं होता
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है।	लागू नहीं होता
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यौरे	लागू नहीं होता

Krishna Kumar Paswan

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/ नहीं दिया गया है:

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा :

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	लागू नहीं होता
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	लागू नहीं होता
(ग)	अधिसापित दंड	लागू नहीं होता
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/ है। यदि हाँ, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	लागू नहीं होता

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ :

Kishna Kuma Pawan

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 -संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं०, रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3- सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4- यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 75 क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथक्तरा दिए जाने हैं।

क्रम.सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	हाथ में नकदी	11000	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खात भी है), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	भारतीय स्टेट बैंक कवीरस्थित खाता सं. 3376038 7033 रु. 11000	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

Kaishma kuma prawan

(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखितों में विनिधान और रकम	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(vi)	मोटरयान/वायुयान / याट / पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(vii)	जोहरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ix)	समग्र कुल मूल्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

केशव कुमार बनवान

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1 -संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 -प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथक्कृत वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम.सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियों) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

Kamla Kuma prawan

(ii)	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(iii)	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	वणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता



Kandina Kuma Parwan

	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(iv)	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

Krishna Kumar Puri

	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(V)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (V) का कुल चालू बाजार मूल्य	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण :- कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरे का पृथक विवरण दें)

क्रम.सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	कोई अन्य दायित्व	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	दायित्वों का कुल योग	शून्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

Krishna Kumar Jaiswal

	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।
	आय-कर शोध्य	शून्य	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।
	धनकर शोध्य	शून्य	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।
	सेवाकर शोध्य	शून्य	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	शून्य	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।
	विक्रयकर शोध्य	शून्य	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।
	कोई अन्य शोध्य	शून्य	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	शून्य	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वर्तित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।	लागू नहीं है।

Krishna Kumar Parwan

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं निर्जी प्रहारापन

(ख) पति या पत्नी लागू नहीं

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है :-

मैट्रिक उत्तीर्ण श्रेणी-द्वितीय, वर्ष-1999, सर्वोच्च उच्च विद्यालय गंगासागर दरभंगा

इंटरमिडिएट साइंस श्रेणी-प्रथम, वर्ष-2001, सी.एम. साइंस कॉलेज दरभंगा

बी.एस.सी. इंजिनियरिंग श्रेणी-प्रथम, वर्ष-2003, महाविद्यालय वैद्यनाथ

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/ डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दे)

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये ब्यौरे का उद्धरण

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कु० कृष्ण कुमार पासवान
2.	डाक का पता	ग्राम-पश्ची, डाकघर-रास्ती सागर, थाना- हलरु, पंचायत-बाग मरहमद, डीएस-दरभंगा, अनुमंडल-दरभंगा सदर, जिला-दरभंगा, पिन- 846009
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	14-दरभंगा सामान्य बिहार
4.	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	स्वतंत्र
5.	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	लागू नहीं
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न)	लागू नहीं

Krishna Kumar Paswan

6.	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	लागू नहीं
----	--	-----------

		का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय
7.	(क) अभ्यर्थी	APUPP4462J	ज्ञात नहीं	शून्य
	(ख) पति या पत्नी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	(ग) आश्रित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

8. आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रुपए में)						
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क.	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
ख.	स्थावर आस्तियां	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
I	स्वअर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

Kishor Kumar Panwar

	II	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	III	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
		(क) स्वअर्जित आस्तियाँ (कुल मूल्य)	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
		(ख) विरासती आस्तियाँ (कुल मूल्य)	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
9.		दायित्व	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
		सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
10.		ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



Kaishun Kumar Bhanu

11. उच्चतम शैक्षिक अर्हता :
 मैट्रिक, उत्तीर्ण - द्वितीय श्रेणी, वर्ष 1999, स्वर्णोदय उच्च विद्यालय जंगलहार
 इंटरमिडिएट साइंस, उत्तीर्ण - प्रथम श्रेणी, वर्ष 2001, ली. एम. साइंस कॉलेज
 बी. एड. एल. इंजिनियरिंग, प्रथम श्रेणी, वर्ष 2009, आर. पी. एड. आई.
 टी. पटना, मगध विश्वविद्यालय बौधगया.
 (प्रमाण पत्र / डिप्लोमा / डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम
 विद्यालय / विश्वविद्यालय / शिक्षा, विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष
 जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ

(कि) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है :

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 05-04-2014 को सत्यापित किया गया।

Kidma Kumar Paswan
अभिसाक्षी

Identified by Krishan Kumar Paswan for Krishan Kumar Paswan who has signed in my presence.
 Advocate Subodh Kumar
 Declared before me.

Suresh Prasad
Notary Public, Jabalpur

Shrestha Kumar Singh
Advocate
5/4/14

5-4-14

- टिप्पण— 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3:00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।
- टिप्पण— 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।
- टिप्पण— 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।
- टिप्पण— 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।
- टिप्पण— 5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।
- टिप्पण— 6. शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।
 "मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें हैं/हैं 94380 10603
 मेरा ई-मेल आई० डी० (अगर कोई हो) है knishna10aug84@gmail.com
 एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है लागू नहीं होता
- टिप्पण— 7. शपथ पत्र के पारा 8 में वित्तीय संस्थानों के प्रति दायित्वों में विदेशी बैंकों/संस्थाओं में जमा/निवेश सहित सूचना दें।